



टी बोर्ड भारत
14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी
कोलकाता-700001

दिनांक: 04.08.2023

कार्यालय ज्ञापन सं० 88/2023

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि बोर्ड के आंचलिक कार्यालय, कुन्नूर से संबद्ध, श्रीमती बी. मीना, (एम -234), वरिष्ठ सहायक, दिनांक 29.05.2024 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे। एफआर 56 (ए) के साथ पढ़े जाने वाले टी बोर्ड उप-नियम, 1955 (यथा संशोधित) के उप-नियम 30 के अनुसार, उन्हें दिनांक 31.05.2024 के अपराहन से बोर्ड की सेवाओं से सेवानिवृत्त किया जाएगा।

श्रीमती मीना अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले, नियमों के तहत सभी प्रकार के अवकाश का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें परिवर्तित/अर्धवेतन अवकाश भी शामिल है तथा जिसके वे हकदार हैं। तथापि, यदि वह भारत के भीतर बिताते हैं तो उन्हें एक बार में 300 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 25.09.2008 को जारी का.ज्ञा. संख्या 14028/3/2008-स्था (एल) के अनुसार यदि वह चाहे तो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश की अवधि के संबंध में अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान भी किया जा सकता है (बशर्ते कुल अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश 300 दिनों से अधिक नहीं होगा)।


(आशीष देब)

सहायक सचिव (प्रभारी)

वितरण:

.1	श्रीमती बी. मीना, (एम -234), वरिष्ठ सहायक, टी बोर्ड, कुन्नूर	
.2	कार्यकारी निदेशक, कुन्नूर	
.3	वि.अ.ले.स एवं मु.	
.4	लेखा अधिकारी (वेतन)	
.5	अवकाश शाखा	
.6	प्रभारी, पेंशन व पीएफ शाखा	
.7	सचिवालय शाखा	
.8	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
.9	टी बी ई ए	
.10	टी बोर्ड कर्मचारी सहकारी समिति लि , कोलकाता	
.11	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियां सहित

संदर्भ. मिसिल सं. 21(1)/स्था/2020